न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 95 / 2019

1 गोपाललाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भादवासी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामकिशन पुत्र राजेन्द्र कुमार।
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 तहसीलदार महोदय खण्डेला जिला सीकर।
4 उप पंजियक महोदय खण्डेला जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.10.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला प्रकरण अनुवानी गोपाललाल बनाम रामकिशन आदि मुकदमा नम्बर 20 / 2019 आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

अपील संख्या 96 / 2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 गोपाललाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भादवासी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामकिशन पुत्र राजेन्द्र कुमार।
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र
3 सोहनी देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी रतनलाल।
4 गुलाब देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मेवाराम।
5 जडाव देवी पत्नी रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 तहसीलदार महोदय खण्डेला जिला सीकर।
7 उप पंजियक महोदय खण्डेला जिला सीकर।
8 पटवारी हल्का भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.10.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला प्रकरण अनुवानी गोपाललाल बनाम राजेन्द्र कुमार आदि मुकदमा नम्बर 21/2019 आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 05.03.2021

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा संख्या 20/2019,21/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। इन दोनो पत्रावलीयों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में अलाग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम भादवाड़ी तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नम्बर 233,1005, 1012,1023,1027,1030,1038,1109,1127,1128,1260,1261,1484,585 से 589, 628 से 630,688 से 690,854 से 861,867,868,887 से 892,894,996, 1284 से 1287, 1289 से 1291, 1297 बाबत आवेदन संख्या 21/2019 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। इसी प्रकार खसरा नम्बर 989,1297 बाबत आवेदन संख्या 20/2019 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के दोनो आवेदन खारिज किये है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथक–प्रथक अपीले प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियों के सन्दर्भ में मूलवाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारो के हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त किया जाना शेष है। इससे पूर्व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमियों को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। विचारण न्यायालय मे पत्रावलियां तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना, प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। विद्वानअधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 542 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1297 के अलावा अन्य भूमियां पैतृक है खसरा नम्बर 1297 स्वअर्जित थी। जिसे हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार रामचन्द्र को था। अपीलांट द्वारा जिस पारिवारिक समझौते का उल्लेख विचारण न्यायालय में किया गया है। इस सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट के कथन परस्पर विरोधाभाषी है। अपीलांट का दावा विधि विरूद्व है। विचाराधीन निर्णय के अवलोकन से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक स्वतःप्रकट हो जाते है। सम्पूर्ण भूमियों पर बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों के सन्दर्भ में मूलवाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारो के हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त किया जाना शेष है। इससे पूर्व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमियों को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। विचारण न्यायालय मे पत्रावलियां तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना, प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1994 पेज 542 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि" Rajasthan Tenancy Act, Section 212-It is the primary duty of the trial court to pass a proper and legal order while deciding kan application u/s 212- No order can be passed without examining whether there was a prima faice case, balance of convenience or irreparable injury in fovour of the applicant.

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद उभयपक्ष को ग्राम भादवाड़ी तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नम्बर 233,1005, 1012,1023,1027,1030, 1038,1109, 1127,1128,1260,1261,1484,585 से 589, 628 से 630,688 से 690,854 से 861,867,868,887 से 892,894,996, 1284 से 1287, 1289 से 1291, 1297 989,1297 बाबत मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर